आवश्यक/तिथि परिवर्तन

संख्या-95/2023/2602576/12-2099/146/2023

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनॉक: 21 नवम्बर, 2023

विषय:-रबी अभियान, 2023 के अन्तर्गत अधिक फसलोत्पादन हेतु मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के पूर्व पत्र संख्या-89/2023/2576908/12-2099/146/2023, दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 एवं संख्या-94/2023/1736337/12-2099/146/2023, दिनांक 15 नवम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपरिहार्य कारणों से रबी अभियान, 2023 के अन्तर्गत आयोजित होने वाली फसलोत्पादन हेतु मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठियों का आयोजन पूर्वान्ह 10.30 बजे से कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में निम्नानुसार आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र0 सं0	मण्डल का नाम	आयोजन स्थल	पूर्व आयोजन तिथि एवं दिवस	संशोधित आयोजन तिथि एवं दिवस
1	सहारनपुर , मेरठ एवं मुरादाबाद	मुरादाबाद	22 नवम्बर 2023 (बुधवार)	--
2	अलीगढ़ , आगरा एवं बरेली	बरेली	23 नवम्बर 2023 (बृहस्पतिवार)	--
3	कानपुर , झांसी एवं चित्रकूट	चित्रकूट	25 नवम्बर 2023 (शनिवार)	08 दिसम्बर 2023 (शुक्रवार)
4	प्रयागराज , वाराणसी एवं विन्ध्याचल	मिर्जापुर	28 नवम्बर 2023 (मंगलवार)	12 दिसम्बर 2023 (मंगलवार)
5	देवीपाटन एवं अयोध्या	अयोध्या	04 दिसम्बर 2023 (सोमवार)	14 दिसम्बर 2023 (बृहस्पतिवार)
6	बस्ती , गोरखपुर एवं आजमगढ़	गोरखपुर	06 दिसम्बर 2023 (बुधवार)	16 दिसम्बर 2023 (शनिवार)

3. उक्त संशोधित कार्यक्रमानुसार जिस मण्डल मुख्यालय में गोष्ठी आयोजित होगी, उस मण्डल/जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी एवं संबंधित अन्य मण्डलों के आयुक्त तथा उक्त मण्डलों के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा भौतिक रूप में तथा गोष्ठी से सम्बन्धित समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों (आयोजन करने वाले जनपद को छोड़कर) द्वारा उक्त गोष्ठी में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग किया जायेगा।

कृपया उपर्युक्तानुसार मण्डलीय रबी उत्पादकता गोष्ठी, 2023 का आयोजन अपने मण्डल स्तर पर कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या- 95/2023/2602576(1)/12-2099/146/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सिंचाई/गन्ना/सहकारिता/ऊर्जा/राजस्व/संस्थागत वित्त/समन्वय/लघु सिंचाई/ग्राम्य विकास/पंचायती राज/उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/मत्स्य/दुग्ध विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद/कानपुर/मोदीपुरम, मेरठ/सैमहिग्गिनबॉटम इन्स्टीटयूफ ऑफ एग्रीकल्चर टैक्नालॉजी एण्ड साइंसेज, इलाहाबाद एवं बांदा कृषि विश्वविद्यालय, बांदा।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग/गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
5. परियोजना समन्वयक, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना, लखनऊ।
6. आयुक्त एवं निबंधक, सहकारी समितियॉ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रशासक, शारदा सहायक, राम गंगा समादेश, उत्तर प्रदेश।
8. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/पशुपालन/पंचायत राज/सूचना विभाग/कृषि विज्ञान संस्थान, वाराणसी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी/राज्य ग्राम्य विकास प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ/राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, रहमानखेडा, लखनऊ/उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि औद्योगिक निगम, लखनऊ/को-आपरेटिव फेडरेशन लि0, लखनऊ/ उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ/भूमि सुधार निगम, लखनऊ/को-आपरेटिव बैंक, लखनऊ/यू0पी0स्टेट एग्रो इण्ड्रस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
10. प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, लघु सिंचाई, जवाहर भवन/सिंचाई विभाग, लखनऊ।
11. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
12. सामान्य प्रबंधक, जनरल इन्श्योरेंस कारपोरेशन, लखनऊ।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम, पानदरीबा, लखनऊ।
14. समस्त संयुक्त/उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
15. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
16. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त गोष्ठी के आयोजन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से सुनिश्चित कराते हुए प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

17. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
18. निजी सचिव, मा0 कृषि मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
19. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन।
20. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
21. निजी सचिव, अपर प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
22. निजी सचिव, सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
23. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार सिंह
उप सचिव।